

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक:—प्र02/ग्रा0वि0—05/2013—

/पटना, दिनांक:—

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय:— राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु ऋण के रूप में प्राप्त मूलधन की राशि को आर०ई०सी० लि० को पुनर्भुगतान करने हेतु दिनांक—15.03.2026 तक देय राशि 58,66,374/—(अठ्ठावन लाख छियासठ हजार तीन सौ चौहत्तर) रुपये मात्र का भुगतान वित्तीय वर्ष 2025—26 में ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लि० को करने के संबंध में।

आदेश:—स्वीकृत।

राज्य के सभी जिलों में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। राज्य के शत-प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण किए जाने के लिए राज्य सरकार, बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि० (तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड), ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लि० एवं केन्द्रीय प्रक्षेत्रों के विद्युत प्रतिष्ठानों यथा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लि० एवं एन०एच०पी०सी० लि० से चतुष्पक्षीय समझौता किया गया था, जिसके तहत ग्रामीण विद्युतीकरण कॉरपोरेशन लि० के द्वारा 90% अनुदान एवं 10% ऋण के रूप में राशि सीधे कार्यान्वयन प्रतिष्ठानों को उपलब्ध कराई जाती है। इस अनुबंध पर वित्त विभाग एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है। इसके अनुसार आर०ई०सी० लि० द्वारा विमुक्त राशि राज्य सरकार की ओर से कार्यान्वित करने वाली संस्थानों को सीधे अनुदान एवं ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जा रही है। आर०ई०सी० लि० से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के अधीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त होने वाले अनुदान एवं ऋण को उसी अनुदान एवं ब्याज दर पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराया माना जायेगा एवं तदनुसार मूल एवं ब्याज के पुनर्भुगतान का दायित्व साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को होगा। इस प्रकार राज्य सरकार के द्वारा ऋण के रूप में प्राप्त राशि पर त्रैमासिक सूद एवं मूलधन का पुनर्भुगतान किया जा रहा है।

2. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु ऋण के रूप में प्राप्त मूलधन की राशि को आर०ई०सी० लि० को पुनर्भुगतान करने हेतु दिनांक—15.03.2026 तक देय राशि 58,66,374/—(अठ्ठावन लाख छियासठ हजार तीन सौ चौहत्तर) रुपये का भुगतान हेतु आर०ई०सी० लि० से डिमाण्ड प्राप्त है।

3. उक्त आलोक में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु ऋण के रूप में प्राप्त मूलधन की राशि को आर०ई०सी० लि० को पुनर्भुगतान करने हेतु दिनांक—15.03.2026 तक देय राशि 58,66,374/—(अठ्ठावन लाख छियासठ हजार तीन सौ चौहत्तर) रुपये का भुगतान आर०ई०सी० लि० को वित्तीय वर्ष 2025—26 में करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. इस राशि का भुगतान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को किया जाएगा तथा यह राशि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०, पटना को ऋण के रूप में उपलब्ध कराया माना जाएगा। ऋण की शर्तें निम्नवत होगी।

- (क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।
- (ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
- (ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
- (घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।
- (ङ.) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता/सब्सिडी की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली कर सकेगी।



5. यह राशि मांग सं०-10, मुख्य शीर्ष 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज, उपशीर्ष-0017 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के द्वारा रूलर इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लि० से लिए गए ऋण के पुनर्भुगतान हेतु विपत्र कोड-10-6801001900017 विषय शीर्ष-55.01 ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
6. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना के द्वारा रूलर इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लि० के HDFC Bank, के०जी० मार्ग, दिल्ली के चालू खाता संख्या-00030350000574, IFSC Code-HDFC0000003 में किया जाएगा।
7. वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना का पत्रांक-7355/वि०(2) दिनांक-05.10.2007 द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।
8. आर०ई०सी० लि० को मूलधन का भुगतान उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए विपत्र के आधार पर किया जा रहा है। गणना के आधार पर मूलधन मद में अधिक भुगतेय राशि का समायोजन किया जाएगा।
9. राज्यादेश में सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०2/ग्रा०वि०-05/2013 के पृष्ठ संख्या-275/टि० पर दिनांक-10.03.2026 को प्राप्त है।
10. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(सुधा गुप्ता),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-प्र०2/ग्रा०वि०-05/2013-

/पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक:-प्र०2/ग्रा०वि०-05/2013-

1383

/पटना, दिनांक:- 12.03.2026

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो०) क० लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०, पटना/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि०, पटना/मुख्य परियोजना प्रबंधक, आर०ई०सी० लि०, परियोजना कार्यालय, पटना/आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।